



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14347

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 11520 वर्ष 2025

थान सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

राम राज पांडेय, सतीश चंद्र मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, रमेश कुमार शुक्ला

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम राज पांडेय, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शुक्ला एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- शेरकोट, जिला- बिजनौर में मुकदमा अपराध संख्या 11 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 140(1), 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस. (B.N.S.) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में नामित नहीं है। उसका नाम बाद में सह-अभियुक्त के बयान में सामने आया है और आवेदक पर मोटरसाइकिल, फावड़ा, रस्सी और सह-अभियुक्त की कार की झूठी संयुक्त बरामदगी थोपी गई है। तत्पश्चात, संयुक्त निशानदेही पर मृतक का शव बरामद होना बताया गया है, जिसे केवल आवेदक के कृषि खेत से खोदकर निकाला गया था। आवेदक की कोई पहचान परेड (test identification parade) नहीं कराई गई है, अतः यह आवेदक को झूठा फंसाने का एक स्पष्ट मामला है। आवेदक का मामला नामित अभियुक्तों, विपिन और जयवीर के मामले से भिन्न आधार पर है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पूरी बरामदगी प्रक्रिया दिखावटी (sham) है। यदि शव आवेदक के कृषि खेत से बरामद किया गया होता, तो पंचायतनामा (inquest proceedings) की कार्यवाही वहीं और उसी समय की गई होती, लेकिन विडंबना यह है कि पंचायतनामा की कार्यवाही जिला अस्पताल, मुरादाबाद के शव गृह (mortuary) में की गई थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 10.01.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं किया जा सका।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एफआईआर में नामित नहीं है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई पहचान परेड नहीं हुई है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- थान सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।